ीय न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्य प्रदेश

(96)

प्रकरण क्रमांकः– /2017 दी.ए. अपील PBR/निगरानी/उज्जैन/भू०रा०/2017/1595

दरबारसिंह आयु 30 वर्ष पिता जसवंतसिंहजी

जाति राजपूत, धंधा कृषि निवासी ग्राम – **बनबना**

तहसील बड़नगर जिला उज्जैन म0प्र0–––––– आवेदक

विरूद्ध

विरेन्द्रसिंह पिता गेंदालालजी आयु 38 वर्ष

जाति राजपूत, धंधा कृषि नि.ग्राम गुलाबखेड़ी तह.बड़नगर

कृषक ग्राम – बनबना तह.बड़नगर जिला **उज्जैन** म0प्र0

–––––– अनावेदक

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू.रा.सं.

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार टप्पा इंगोरिया

त्ह.बड़नगर जिला उज्जैन द्वारा प्र.क.3–अ–70/15–16

मे पारित अंतरीम आदेश दिनांक – 26/10/2016 से

असंतुष्ट एवं दुःखित होकर पुनरीक्षण याचिका.

माननीय महोदय,

आवेदक की और से पुनरीक्षण याचिका निम्नलिखित प्रस्तुत है –

01. यह कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा **विधि** एवं तथ्यो के विपरीत अंतरीम आदेश प्रदान करने मे महान वैधानिक भुल की है ।

02. यह कि आवेदक ग्राम बनबना मे अनावेदक द्वारा किये गये सीमांकन के समय उपस्थित नही था तथा न ही सीमांकन की किसी प्रकार से जानकारी थी उक्त तथ्य को नजरअंदाज कर अंतरीम आदेश पारित करने मे महान वैधानिक त्रुटी की है ।

03. यह कि आवेदक सीमांकन मे उल्लेखित **भूमि पर** वर्षो से काबिज है तथा विधि अनुसार 6 माह का कब्जा हो तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा हटाया जा सकता है किन्तु आवेदक वर्षो से भूमि पर काबिज होकर फसल लाभ प्राप्त कर रहा है **तथा** सीमांकन त्रुटीपूर्ण व अनावेदक की अनुपस्थिति मे हुआ है इस तथ्य के विपरीत अंतरीम **आदेश** पारित करने मे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा महान वैधानिक भुल की गई है ।

दरबारसिंह

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - पीबीआर/निगरानी/उज्जैन/भू.रा./2017/1595

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25.10.2018	आवेदक अधिवक्ता श्री ए.आर. यादव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 3-1-19 को कलेक्टर, जिला उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। (3) प्रशासकीय सदस्य	